फर्द आदेशनामा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला— उदयपुर

प्रार्थी— सरकार विपक्षी— राजस्थान राज्य

किस्म मुकदमा:— प्रा.पत्र पत्रावली संख्या—04/2021

दिनांक—20.12.2023

प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 का प्रस्तुत कर अंकित किया कि आप न्यायालय में प्रार्थी की ओर से याद प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण दिनांक 19.01.2021 को जवाब हेतु नियत था। प्रार्थीगण जो पारिवारिक परिस्थितियां एवं कोरोना महामारी के चलते माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके और प्रार्थीगण के माननीय न्यायालय में निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया। श्रीमान का कथित आदेश प्रार्थीगण को बिना सुने खारिज फरमा दिया गया है जो विधिक प्रावधानों के प्रतिकुल होने से काबिल निरस्त है। कथित वाद जायदाद से सम्बन्धित होकर वादीगण को विधिनुसार सुनकर निर्णय पारित करना न्यायहित में है इसलिए कथित प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये समन सूचित किया गया। विपक्षी के जवाब अवसर बंद किए।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सूनी गई, वादी द्वारा कथन किया गया कि वाद घोषणा के सम्बध में प्रस्तुत किया गया था, जो प्रतिवादी जवाब में नियत होने एवं कोरोना काल होने से वादी एवं अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ रहे है। पत्रावली पर प्रस्तुत उक्त वादपत्र की आदेशिका का अवलोकन कर अध्ययन किया गया। वादी का वाद प्रतिवादी के जवाब हेतु नियत था। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए वादी का वाद पुनः नम्बर पर लिया जाकर जवाब प्राप्त कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना विधिसम्मत है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सहपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण 140/17 वाद अनवान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2021 को अपास्त किया जाकर मूल प्रकरण को पूनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय सरेइजलास सूनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

(प्रतिभा वर्मा)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर